न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 362/2024
(जीसीएमएस संख्या 2024/497)

निर्णय दिनांकः– 18-3-26

1. भंवरलाल पुत्र गोरधन जाति मेघवाल निवासी उदासर तहसील बीकानेर जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 23–08–1985
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 23–08–1985 जिसके द्वारा अपीलांट के नाम पूर्व से ही आवंटित भूमि आवंटन की गई को निरस्त करने व अपील मंजूर करने बाबत इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा दिनांक 22–08–1985 को अपीलांट को 2 बीघा भूमि का पात्र मानते हुए अपीलांट को चक 4 बी.डी.वाई. के मुरब्बा नम्बर 171/28 में किला नम्बर 1, 2, 10, 16, 24, 25 मे 7 बीघा कमाण्ड मुरब्बा नम्बर 171/20 में किला नम्बर 3 से 5, 6 से 8 में 6 बीघा व मुरब्बा नम्बर 171/12 में किला नम्बर 11, 19 20 मे 3 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 14, 17, 18, 21 से 24 मे 7 बीघा अनकमाण्ड कुल 22 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश की पालना में कब्जा प्राप्त करने व आवंटन का राजस्व अभिलेखो में इन्द्राज करवाने के लिए गया तो अपीलांट को ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त आराजी अन्य को आवंटित हो चुकी है। इस पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि अन्य को आवंटन होने से डबल आवंटन के तहत अन्यत्र भूमि आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अन्यत्र भूमि आवंटन करने का आश्वासन दिया। लंबे समय बाद भी अपीलांट को अन्यत्र भूमि आवंटन नही हुई। उपनिवेशन विभाग का राजस्व विभाग में विलय होने पर अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बज्जू के समक्ष अन्यत्र भूमि आवंटन किये जाने का निवेदन किया। परन्तु अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की कार्यवाही नही की गई। वादग्रस्त आराजी अपीलांट को आवंटन सुदा थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का आवंटन किसी अन्य सैदा पुत्री फतुखा व सादा पुत्री रहीम खां को मीडियम पेच में आवंटित की गई। यह सर्वविदित है कि पूर्व से आवंटन सुदा भूमि का दुबारा आवंटन नही किया जा सकता तथा अपीलांट का आवंटन निरस्त नही किया गया। अपीलांट को आवंटित भूमि दुबारा अन्य व्यक्तियों को आवंटित की गई है। अपीलांट भूमिहीन आवंटन श्रेणी का रकबा अन्यत्र आवंटन करवाने का हकदार है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–08–1985 निरस्त किया जाकर अपीलांट को भूमिहीन श्रेणी की अन्यत्र भूमि आवंटित किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर भूमिहीन श्रेणी में भूमि आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की पात्रता की जॉच करते हुए अपीलांट को चक 4 बी.डी.वाई. के मुरब्बा नम्बर 171/28 में किला नम्बर 1, 2, 10, 16, 24, 25 मे 7 बीघा कमाण्ड मुरब्बा नम्बर 171/20 में किला नम्बर 3 से 5, 6 से 8 में 6 बीघा व मुरब्बा नम्बर 171/12 में किला नम्बर 11, 19 20 मे 3 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

14, 17, 18, 21 से 24 मे 7 बीघा अनकमाण्ड कुल 22 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अपीलांट को आवंटित भूमि चक 4 बी.डी.वाई. के मुरब्बा नम्बर 171/28 में किला नम्बर 1, 2, 10, 16, 24, 25 मे 7 बीघा कमाण्ड मुरब्बा नम्बर 171/20 में किला नम्बर 3 से 5, 6 से 8 में 6 बीघा व मुरब्बा नम्बर 171/12 में किला नम्बर 11, 19 20 मे 3 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 14, 17, 18, 21 से 24 मे 7 बीघा अनकमाण्ड कुल 22 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड किसी अन्य को पूर्व में आवंटन सुदा होने के कारण कब्जा नही दिया गया। इसलिए अपीलांट भूमहीन श्रेणी की अन्यत्र भूमि आवंटन करवाने का अधिकारी है।

इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कुल 22 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र घोषित किया गया था चक 4 बी.डी.वाई. के मुरब्बा नम्बर 171/28 में किला नम्बर 1, 2, 10, 16, 24, 25 मे 7 बीघा कमाण्ड मुरब्बा नम्बर 171/20 में किला नम्बर 3 से 5, 6 से 8 में 6 बीघा व मुरब्बा नम्बर 171/12 में किला नम्बर 11, 19 20 मे 3 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 14, 17, 18, 21 से 24 मे 7 बीघा अनकमाण्ड कुल 22 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपीलांट द्वारा जमाबंदी संवत 2072–2075 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2022) की प्रति पेश की जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित हो चुकी है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य या खारिजी आदेश उपलब्ध नही है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांट का आवंटन कभी खारिज हुआ हो। यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट को आदेशिका दिनांक 23–08–1985 द्वारा कुल 22 बीघा भूमि का पात्र घोषित किया गया था तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका था। अपीलांट द्वारा जब आवंटित भूमि का कब्जा लेने गया तो उक्त भूमि पूर्व में ही किसी अन्य को आवंटित होना बताया गया। अगर अपीलांट को आवंटित भूमि का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कब्जा नही दिया गया तो इसमें अपीलांट की त्रुटि नही है। अपीलांट अपनी पात्रता अनुसार भूमि आवंटन करवाने का अधिकारी है।

7. अतः इस स्थिति में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 18-3-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर